

वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2015-कार्तिक 29, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
JUDICATURE AT JABALPUR BENCH AT INDORE
(ORIGINAL COMPANY JURISDICTION)

Company Petition No. 37 of 2014

In the matter of Scheme of Arrangements and Amalgamation among
M/s. Dharti Debt Recovery Agency Private Limited and M/s. Narmada Shelter
Private Limited with M/s. Anant Commodities Private Limited and the respective
shareholders and creditors.

M/s. Narmada Shelter Private Limited

Second Transferor
Company

M/s. Anant Commodities Private Limited

Transferee Company

NOTICE OF PETITION

(Under Rule 80 of the Companies (Court) Rules, 1959)

A Petition under Section 391 to 394 of the Companies Act. 1956 for Scheme of Arrangements and Amalgamation among M/s. Narmada Shelter Private Limited (Second Transferor Company) with M/s. Anant Commodities Private Limited (Transferee Company) and the respective shareholders and creditors was listed before the Hon'ble Company Judge, Madhya Pradesh High Court on 29th October, 2015 and now the said petition is fixed for hearing before the Hon'ble Company Judge on 14.12.2015. Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's advocate, a notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than two days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of his affidavit shall be furnished with

such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on the payment of the prescribed charges for the same.

Manoj Munshi,
Advocate

Indore

Dated: 07-11-2014

(448-B.)

M. Munshi & Associates
Advocates & Solicitors,
304-306, Navneet Plaza,
5/2, Old Palasia, Indore 452 018.

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व मेरा नाम उमा बुधानी पिता हरीश बुधानी था, जो शादी के बाद बदलकर मैंने अपना नाम जिवांशी नेभानी पति पुनीत नेभानी रख लिया है। अतः मुझे जिवांशी नेभानी पति पुनीत नेभानी के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(उमा)

पिता-हरीश बुधानी

(441-बी.)

नया नाम :

(जिवांशी)

पति-पुनीत नेभानी

108, रुकमणी प्लाजा, 14, ओल्ड पलासिया,
इंदौर (म.प्र.).

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी पुत्री ईशा जैन, आयु 16 वर्ष को दीपांशी जैन एवं ईशा जैन दोनों नामों से जाना जाता है। सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की गई है।

(442-बी.)

प्रकाश जैन,

पिता-श्री अशोक जैन,

श्रीमति वर्षा जैन पति प्रकाश जैन,
15, सेवा सदन अट्टा सुजा खां की गली
इतवारा, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा उप-नाम चुटिवश पूर्व में शिक्षा अभिलेखों में बरडिया अंकित है। किन्तु मेरा उपनाम प्रजापति है तथा मेरे पिता का नाम श्री मोहनलाल प्रजापति है। अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझे आज से आशुतोष प्रजापति पिता श्री मोहनलाल प्रजापति के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

(आशुतोष बरडिया)

(445-बी.)

नया नाम :

(आशुतोष प्रजापति)

निवासी-1/11, संजयनगर, बुरहानपुर (म.प्र.).

सूचना

मैसर्स टी. एन. एसोसियेट्स फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00087/05, सन् 2005-06 है इस फर्म में निम्न भागीदार पूर्व से हैं वर्तमान में हैं-(1) श्रीमती कांति पांडे पति श्री ए. के. पांडे, (2) त्रिलाकीनाथ पांडे पिता स्व. श्री कृष्णकांत पांडे, दिनांक 01-04-2010 से दो नये भागीदारों का प्रवेश इस फर्म में किया जा रहा है। (1) श्री ओमकार नाथ पांडे पिता स्व. उमाशंकर पांडे, (2) श्री पीयूष पांडे पिता श्री ए. के. पांडे तथा दिनांक 05-06-2013 से एक भागीदार त्रिलाकीनाथ पांडे पिता स्व. श्री कृष्णकांत पांडे इस फर्म से सेवामुक्त हो गये। इस बावत् सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारों ने किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं ली है। सनद् रहे वक्त पर काम आये।

(443-बी.)

प्रवीन रंजन श्रीवास्तव,
(एडवोकेट).

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. स्वराज मास मीडिया, भोपाल मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक-01/01/01/0261/15, सन् 2015-16 (2907), दिनांक 30-09-2015 की रचना में भागीदारी संशोधन दिनांक 13-10-2015 के मार्फत संशोधन करते हुए पूर्व भागीदारों के अतिरिक्त नवीन भागीदार श्री अमरप्रीत सिंह चावला आ. श्री अवतार सिंह चावला, आयु 45 वर्ष, निवासी-43, ईदगाह हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश 462001 एवं श्री पंकज गुप्ता आ. स्व. श्री वेदप्रकाश गुप्ता, आयु 45 वर्ष, निवासी-ई-7/115, लाला लाजपतराय सोसायटी अरेठा कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश 462016 को समिलित किया गया है, उक्त फर्म में उपरोक्त भागीदारी संशोधन के उपरांत कुल भागीदारों की संख्या 6 रहेगी, उपरोक्त भागीदारी संशोधन में किसी भागीदार या सम्बन्धित व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन से आगामी 15 दिवस में सप्रमाण आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, समय-सीमा के पश्चात् किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

संजय श्रीवास्तव,

(अधिवक्ता)

श्रीवास्तव लॉ चेम्बर,

65, मालवीय नगर, भोपाल.

(444-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म एस. आर. डी. कान्स्ट्रक्शन प्रभात बिहार कॉलोनी, सतना पंजीयन क्र. दृ 05/26/01/00105/10 उक्त फर्म में चार साझेदार 1. शिव प्रसाद शुक्ला, 2. वैभव मिश्रा, 3. जय प्रकाश नारायण, 4. मजीब अन्सारी हैं। जिसमें कि 1 अप्रैल, 2012 को दो साझेदार जय प्रकाश नारायण एवं मजीब अन्सारी प्रथक हो गये हैं। उनकी लेनदेन एवं देनदारिया शेष नहीं है। किसी को आपत्ति है 15 दिवस के अंदर सूचित करें।

For-SRD CONSTRUCTION

SHIV PRASAD SHUKLA,

(446-B.)

(Partner)

आम सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मे. वसावड़ा ब्रदर्स, 25, वराहमिहार मार्ग, क्रीगंज, उज्जैन के भागीदार श्री जितेंद्र राय वसावड़ा का निधन होने के कारण भागीदारों में बदलाव दिनांक 27 अक्टूबर, 2012 को किया गया है जो कि निम्नानुसार है।

पुराने भागीदार स्व. श्री जितेंद्र राय वसावड़ा के स्थान पर श्री मिलन वसावड़ा पिता श्री देवेन्द्र (दीपक) वसावड़ा, निवासी-7, साँझानाथ कॉलोनी सांवेर रोड, उज्जैन नये भागीदार होंगे। अन्य दोनों पुराने भागीदार श्री मुकेश वसावड़ा एवं श्री देवेन्द्र (दीपक) वसावड़ा यथावत् भागीदार बने रहेंगे। उक्त परिवर्तन दिनांक 27 अक्टूबर, 2012 से प्रभावशील माना जायेगा।

For-VASAVADA BROS.

मुकेश जितेन्द्रराय वसावड़ा

(Partner)

(447-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/पंजीयक, पब्लिक ट्रस्ट, बरेली, जिला रायसेन

[धारा-5(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (30 सन् 1951 और 5 (1) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1962 के अन्तर्गत]

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूची में दिये गये जायदाद मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा उप धारा (4) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट है।

अतः मैं, ओ. पी. सोनी, पंजीयक ट्रस्ट उक्त एक्ट की धारा-5 की उपधारा (1) के अनुसार अपने न्यायालय में दिनांक 29 जनवरी, 2015 इस मामले की जांच करना चाहता हूँ।

अतः यह सूचना दी जाती है कि निम्नांकित ट्रस्ट का कोई व्यक्ति, ट्रस्ट की कार्यवाही में सदस्य या अन्य कोई व्यक्ति रूची रखने वाला आपत्ति या सुझाव प्रकट करना चाहता है तो लिखित उत्तर दो प्रतियों में सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करें। और उपरोक्त दिनांक को स्वयं या किसी अधिवक्ता या अधिकृत एजेन्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अधिसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता और चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता :- प्राचीन राधाकृष्ण मंदिर ग्राम पिपरिया करनसिंह, तहसील बेरेली,
जिला रायसेन म.प्र.

(1) कार्यकारी न्यासी एवं प्रबंधकों का विवरण:-

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. श्री प्रेमनारायण पटेल | (अध्यक्ष) |
| 2. श्री देवेन्द्र सिंह धाकड़ | (उपाध्यक्ष) |
| 3. श्री अरविन्द्र सिंह मुकद्दम | (सचिव) |
| 4. श्री चन्दनसिंह विलथरिया | (सह सचिव) |
| 5. श्री नरेन्द्र कुमार धाकड़ | (कोषाध्यक्ष) |
| 6. श्री जमना प्रसाद धाकड़ | (सदस्य) |
| 7. श्री अमरीश कुमार पालीवाल | (सदस्य) |
| 8. श्री रमेश कुमार चौरावारे | (सदस्य) |
| 9. श्री तुलसीराम टेलर | (सदस्य) |
| 10. श्री सरदार सिंह चौधरी | (सदस्य) |
| 11. श्री राजेन्द्र सिंह मुकद्दम | (सदस्य) |

ट्रस्ट के सम्बन्ध में यदि कोई स्कीम हो तो उसके ब्यौरे संलग्न दस्तावेज न्यास विलेख के अनुसार रहेंगे।

(अ) अचल सम्पत्ति का विवरण :-

- भूमि खसरा क्रमांक क्रमांक 38/1, रकबा 0.073 है. खसरा क्रमांक 76 रकबा 0.315 है., खसरा क्रमांक 132 रकबा 1.761 है. खसरा क्रमांक 153 रकबा 1.724 है. खसरा क्रमांक 159 रकबा 1.348 है. किता-5 कुल रकबा 5.221 है. एवं 50 वाय 50 फिट प्राचीन मंदिर बना है जिसमें राधाकृष्ण की मूर्ति विराजमान है अन्य मूर्तियां लड्डु गोपाल, हनुमान जी, भूमि गणेश, शंकर जी नंदी जी, शक्ति माता व शंकर जी विराजमान हैं।

(ब) चल सम्पत्ति का विवरण :-

- चांदी के मुकुट, चांदी की नथ, भोग पूजा पाठा हेतु थाली, गिर्लास, आचमनी, पंचपात्री, शंकूर, झालर, हेंड पम्प, एक हार्सपॉवर की मोटर, सिन्टेक्स टंकी, मंदिर का एक ज्वान्ट खाता गिरीश कुमार, चन्दन सिंह, नरेन्द्र सिंह धाकड़ जिला सहकारी बैंक मर्यादित, रायसेन शाखा बरली में खाते में मंदिर की राशि 3,90,191 रु. जमा है।

(2) न्यास की आय के स्रोत :-

न्यास की प्रमुख आमदानी का स्रोत न्यासी सदस्यों एवं दानदाताओं द्वारा दान की गई धनराशि है इसके अतिरिक्त न्यास शासन प्रदेश केन्द्र निगमित निकाय एवं अन्य किसी सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करेगा।

न्यास की सदस्यता प्रबंध कारकों का गठन, उद्देश्य, दैनिक कार्यों की देखरेख वित्तीय कार्यों की देखरेख, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य से संबंधित है।

उक्त प्रस्तावित न्यास के सदस्यों/प्रबंधकों के सम्बन्ध में भी यदि किसी को आपत्ति हो वह दिनांक 04 अगस्त, 2015 को अथवा उसके पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है।

ओ. पी. सोनी,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(579)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर

प्र.क्र. 01/2012-13/बी-113(1).

ग्वालियर, दिनांक 07 नवम्बर, 2015

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

श्री भरोसीलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री देवलाल शर्मा, निवासी-झांसीगंज, गोविन्दपुरी, घासमण्डी, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश

लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23 नवम्बर, 2015 को विचार के लिये दिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 23 नवम्बर, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अधिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम	:	“श्री टंकी वाले हनुमान न्यास”
और पता		आनंदी पहाड़िया टंकी वाले हनुमान सागरताल रोड, लश्कर, ग्वालियर म.प्र.
2. चल सम्पत्ति	:	11,000/- रुपये।
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक।

सिंकेश कुमार वैश्य,

(573)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

कार्यालय पंजीयन, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

प्र.क्र. 19/बी-113/2014-15.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

जिला उज्जैन के समक्ष।

चौंकि श्री रंगनाथाचार्य गुरु स्वामी श्री भागवताचार्य जी अध्यक्ष एवं ट्रस्टी, निवासी-रामानुज कोट रामघाट मार्ग, उज्जैन द्वारा श्री गोदा रंगनाथ सेवा ट्रस्ट 35, सिद्धसेन मार्ग रामानुज कोट रामघाट मार्ग, उज्जैन ट्रस्ट का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक 18 नवम्बर, 2015 से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और मेरे कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अधिकर्ता के द्वारा

उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन,)

न्यास का नाम	:	श्री गोदा रंगनाथ सेवा ट्रस्ट.
कार्यालय	:	35, सिद्धसेन मार्ग, रामानुज कोट रामघाट मार्ग, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	कस्बा उज्जैन, तहसील उज्जैन भूमि सर्वे क्र. 2768 मी. रकबा 0.287 है। में से 0.265 एवं 0.022 सर्वे क्र. 2773 रकबा 0.972 में से 0.571 है, एवं 0.052.
चल सम्पत्ति	:	आवेदन-पत्र अनुसार रुपये 45,143/- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग खाता क्रमांक 30022553366 में जमा है।

(580)

शितिज शर्मा,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, मण्डला, जिला मण्डला

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

यह कि खेमलाल आ. गनेशप्रसाद सोनी, वर्तमान, निवासी बम्हनी बंजर स्थायी, निवासी मुकाम पो. बम्हनी बंजर, थाना बम्हनी बंजर, जिला व तहसील मण्डला मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट ट्रस्ट के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 27 अगस्त, 2015 पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये। और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अधिकार्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

नाम	पता	सम्पत्ति का विवरण
सार्वजनिक चेरिटेबल ट्रस्ट.	मु. पो. बम्हनी बंजर थाना बम्हनी बंजर, तहसील व जिला मण्डला।	निरंक

(572)

प्रवीण फुलपगारे
पंजीयक।

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

अखिल भारत आर्य समाज ट्रस्ट, पता-आर्य समाज मंदिर, दिव्ययुग सदन, 90, बैंक कॉलोनी, अन्नपूर्णा मार्ग इन्दौर (म.प्र.) की ओर से श्री आचार्य डॉ. संजय देव पिता किदारसिंह, निवासी-90, बैंक कॉलोनी, अन्नपूर्णा मार्ग इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अधिभाषक या अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	अखिल भारत आर्य समाज ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय आर्य समाज मंदिर, दिव्ययुग सदन, 90, बैंक कॉलोनी, अन्नपूर्णा मार्ग इन्डौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/- (रु. पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

बरद मूर्ति मिश्रा,
रजिस्ट्रार.

(574)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

गिरज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुल्तानपुर डबरा, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी.डब्ल्यू. आर./313, दिनांक 03 अक्टूबर, 2002 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से, उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1401, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से “कारण बताओ सूचना-पत्र” जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1397 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् गिरज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुल्तानपुर डबरा, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(564-A)

संजय दलेला,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अशोकनगर

गुना/अशोकनगर, दिनांक 26 अगस्त 2015

क्र./परि./2015/827.—अनु. जाति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., अशोकनगर का पंजीयन क्रमांक 1088, दिनांक 06 मार्च, 2006 है कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/49, दिनांक 22 जनवरी, 2014 से संस्था परिसमापन में लायी गई थी। कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश क्रमांक/परि./2015/757, दिनांक 04 अगस्त, 2015 को श्री प्रमोद साठे के स्थान पर श्री आर. एल. खरे, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था। श्री आर. एल. खरे, अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 19 अगस्त, 2015 के क्रम में संस्था को पुर्नजीवित किये जाने का प्रस्ताव मय कार्ययोजना के प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के आधार पर संस्था के पुर्नजीवन प्रस्ताव से सहमत होते हुये मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं

अशोकनगर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत अनु जाति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., अशोकनगर को पुनर्जीवित कर संस्था के कार्यसंचालन के लिये संस्था की आमसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार प्रबंध कार्यकारिणी समिति आगामी 3 माह के लिये नामांकित करता हैः-

क्रमांक	नाम सदस्य	निवास स्थान	पद
1.	श्री रमेश सरगंया/मनू लाल	अशोकनगर	अध्यक्ष
2.	श्री रफीक/गुलाम रसूल	अशोकनगर	उपाध्यक्ष
3.	श्री बाबूलाल/श्यामलाल	अशोकनगर	संचालक
4.	श्री भरोसा/मुन्नालाल	अशोकनगर	संचालक
5.	श्री राजू/श्यामा	अशोकनगर	संचालक
6.	श्री मुकेश/रत्नलाल	अशोकनगर	संचालक
7.	श्रीमति भूरीबाई/नारायण	अशोकनगर	संचालक
8.	श्रीमति रामश्री/सिन्नाम	अशोकनगर	संचालक
9.	श्री अहमद/गुलामरसूल	अशोकनगर	संचालक
10.	श्री संजय/रमेश	अशोकनगर	संचालक
11.	श्री कुनूरछतुआ	अशोकनगर	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर पदमुद्रा से जारी किया गया।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(575)

उपेन्द्र सिंह,
उप-पंजीयक।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 15 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/597.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 374, दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के द्वारा रेत खदान सहकारी संस्था मर्या., सेजगांव, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 733, दिनांक 14 दिसम्बर, 1992 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अमितसिंह सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापक की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मे इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(576)

अलीराजपुर, दिनांक 29 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/611.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 375, दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के द्वारा आजाद मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., बड़गुड़ा, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1028, दिनांक 08 अगस्त, 2008 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अमितसिंह सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापक की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मे इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(576-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 376, दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़ीखट्टाली, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 318, दिनांक 03 नवम्बर, 1963 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अमितसिंह सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापक की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मे इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(576-B)

अम्बरीष वैद्य,
उप-पंजीयक।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 13 अगस्त, 2015

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1998/990, विदिशा, दिनांक 01 अगस्त, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करेला, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./320, दिनांक 21 अक्टूबर, 1987 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. उपाध्याय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करेला, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करेला, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./320, दिनांक 21 अक्टूबर, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(577)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरोदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है।

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना” पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/507, विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरोदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./843, दिनांक 26 फरवरी, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(577-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उकायला, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है।

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना” पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/506, विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उकायला, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./840, दिनांक 22 फरवरी, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(577-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मूडरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है।

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना” पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/505, विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मूडरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./837, दिनांक 21 फरवरी, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(577-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रत्नखेड़ी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है।

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना” पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/504, विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रत्नखेड़ी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./852, दिनांक 04 मार्च, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(577-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिरनोदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है।

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना” पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/503, विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिरनोदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./878, दिनांक 01 जुलाई, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(577-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देरखी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है।

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना” पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/502, विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देरखी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./813, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(577-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किरवाया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है।

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना” पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/501, विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किरवाया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./820, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(577-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोंदाकलौं, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है।

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना” पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/500, विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोंदाकलौं, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./815, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(577-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोठिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है।

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना” पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/499, विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोठिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./816, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(577-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र पचमा, गंज बासौदा, जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक/दु.शी.के./पचमा/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 में विभागीय ई-कोऑपरेटिव्स में सोसाइटीज द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुति के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ककरावदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को अकार्यशील दर्शाया है।

संस्था प्रबंधक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना” पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/498, विदिशा, दिनांक 09 जून, 2015 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ककरावदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./804, दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(577-J)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से रूसल्लीसाहू तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूसल्लीसाहू, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./410, दिनांक 14 नवम्बर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. उपाध्याय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा रूसल्लीसाहू तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूसल्लीसाहू, तहसील लटेरी, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रूसल्लीसाहू तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूसल्लीसाहू, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./410, दिनांक 14 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक।

(577-K)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2015-कार्तिक 29, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है:—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जोरा, सबलगढ़ (मुरैना), विजयपुर (श्योपुर), भिण्ड, मिहोना (भिण्ड), जतारा (टीकमगढ़), सीहोरा, मझोली (जबलपुर), विजयराघवगढ़, बड़वारा (कटनी), बरघाट, छपारा (सिवनी), वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा, मुरैना (मुरैना), घाटीगाँव (ग्वालियर), पलेरा (टीकमगढ़), गौरीहार (छतरपुर), रघुराजनगर, रामपुरबघेलान (सतना), रामपुरकर्चुलियान (रीवा), कोतमा (अनूपपुर), गोपदबनास (सीधी), सोण्डवा (अलीराजपुर), डही (धार), बड़वानी, सेंधवा, पानसेमल, पाटी (बड़वानी), पाटन, कुंडम (जबलपुर), रीठी, बहोरीबंद (कटनी), बजाग, शाहपुरा (डिण्डोरी), सोंसर, अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा), लखनादौन (सिवनी), लांजी, बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह (मुरैना), श्योपुर (श्योपुर), पृथ्वीपुर (टीकमगढ़), लवकुशनगर, बड़ामल्हरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), बंडा, गढ़ाकोटा, केसली (सागर), मझगांव, अमरपाटन (सतना), त्योंथर, (रीवा), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), सिंहावल, चुरहट (सीधी), निवाली (बड़वानी), कटनी, बरही (कटनी), बिछिया (मण्डला), चौरई, बिछुआ, हरई (छिन्दवाड़ा), कुरई (सिवनी), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील कराहल (श्योपुर), अटेर, गोहद, मेहगांव, लहार (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार (ग्वालियर), सेंवढ़ा, दतिया, भाष्डेर (दतिया), गुना, राधोगढ़, बमोरी, आरोन, चाचोड़ा, कुंभराज (गुना), निवाड़ी, टीकमगढ़, वल्देवगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), नौगाँव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुनौर, पवई (पन्ना), बीना, खुरई, सागर, रहली, देवरी, राहतगढ़, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), नागोद, उचेहरा, रामनगर, मैहर, बिरासिहपुर (सतना), सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, हुजूर, गुढ़ (रीवा), जैतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), मझोली, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), सुबासराटप्पा, भानपुरा, मल्हारगढ़, गरोठ, मंदसौर, श्यामगढ़, सीतामऊ, धुन्थड़का, संजीत, कयामपुर, (मंदसौर), जावद, नीमच, मनासा (नीमच), जावरा, सैलाना, बाजना, पिपलौदा, रतलाम (रतलाम), अलीराजपुर, जोकट, कट्टीवाड़ा, च. शेखर आ. नगर, उदयगढ़ (अलीराजपुर), धार, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी (धार), टीकरी, राजपुर

(बड़वानी), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), रायसेन, गैरतगंज, वेगमगंज, बेरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिंचोली, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), जबलपुर (जबलपुर), ढीमरखेड़ा (कटनी), निवास, नैनपुर, मण्डला, घुशरी, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, तामिया, पांदुर्ना, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, घनसोर धनोरा (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई हैं।

(ड) 245.0 मि. मी. से 450 मि. मी. तक.—तहसील आलोट (रतलाम), गोहरगंज (रायसेन), सरदारपुर (धार) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(इ) 450 मि. मी. से अधिकतम तक.—तहसील बदनावर (धार) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, झाबुआ, रायसेन, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी व बालाघाट में जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला कटनी में फसल तिल व सतना में उड़द, तिल, सोयाबीन, अरहर व सिंगरौली में कोंदो, तुअर, ज्वार, तिल व डिण्डोरी, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कोंदों-कुटकी व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, खरगौन, बड़वानी, जबलपुर, मण्डला, छिन्दवाड़ा व सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, झाबुआ, बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सासाहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर 1. अम्बाह 37.4 2. पोरसा 20.0 3. मुरैना 29.0 4. जौरा 06.0 5. सबलगढ़ 15.0 6. कैलारस ..	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला श्योपur :	मिलीमीटर 1. श्योपur 45.5 2. कराहल 95.8 3. विजयपुर 15.0	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर 1. अटेर 93.0 2. भिण्ड 7.0 3. गोहद 105.0 4. मेहगांव 79.2 5. लहार 67.0 6. मिहोना } 17.0 7. रौन }	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर 1. ग्वालियर 65.1 2. डबरा 156.4 3. भितरवार 122.3 4. घाटीगांव 30.0	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला दतिया :	मिलीमीटर 1. सेंवढ़ा 65.0 2. दतिया 106.0 3. भाण्डेर 116.0	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर 1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बदरवास ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
*जिला उपरोक्तगार:	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..
1. मुँगावली	..				7. .. 8. ..
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्द्रेरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड्ड समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. गुना	166.4				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	103.0				
3. बमोरी	98.0				
4. आरोन	117.0				
5. चाचौड़ा	206.0				
6. कुम्भराज	215.0				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तिली, उड्ड, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त
1. निवाड़ी	126.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	40.0				
3. जतारा	10.0				
4. टीकमगढ़	64.0				
5. बल्देवगढ़	100.0				
6. पलेरा	33.0				
7. ओरछा	110.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	40.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	32.0				
3. नौगांव	71.0				
4. छतरपुर	78.8				
5. राजनगर	88.3				
6. बिजावर	62.0				
7. बड़ामलहरा	38.8				
8. बक्स्वाहा	38.6				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड्ड, मूंग, सोयाबीन, तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. अजयगढ़	90.3				7. .. 8. पर्याप्त.
2. पन्ना	85.2				
3. गुन्नौर	137.0				
4. पर्वई	67.0				
5. शाहनगर	41.6				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2.	जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोंदो, उड्ड, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बीना	154.6				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खुरई	125.0				
3. बण्डा	49.4				
4. सागर	63.8				
5. रेहली	73.1				
6. देवरी	151.0				
7. गढ़ाकोटा	52.6				
8. राहतगढ़	75.5				
9. केसली	49.0				
10. मालथोन	126.8				
11. शाहगढ़	117.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं उड़द, तिल, सोयाबीन् अरहर, धान की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	22.1				
2. मझगवां	52.0				
3. रामपुर-बधेलान	23.0				
4. नागौद	55.3				
5. उचेहरा	111.8				
6. अमरपाटन	40.0				
7. रामनगर	137.0				
8. मैहर	113.0				
9. बिरसिंहपुर	60.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ चना, जौ, राई-सरसों अधिक मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्याँथर	50.0				
2. सिरमौर	73.2				
3. मऊगंज	125.0				
4. हनुमना	75.0				
5. हजूर	77.0				
6. गुढ़	122.0				
7. गयपुरकर्तुलियान	30.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. जैतहरी	68.2				
2. अनूपपुर	61.3				
3. कोतमा	18.3				
4. पुष्पराजगढ़	48.1				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, सोयाबीन, तिल, उड़द कम. मक्का समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	132.8				
2. पाली	56.0				
3. मानपुर	35.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2.	जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूँग, ज्वार, मक्का कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. गोपदवनास	32.6				7. .. 8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	41.2				
3. मझौली	97.2				
4. कुसमी	89.0				
5. चुरहट	36.2				
6. रामपुरनैकिन	121.3				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2.	जुताई एवं धान, कोदों, तुअर, ज्वार, तिल की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, तुअर, कोदों, तिल कम. मक्का, ज्वार, उड़द, मूँग समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. 4. (1) सोया. अधिक. मक्का कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद
1. सुवासरा-टप्पा	159.2				7. .. 8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	114.8				
3. मल्हारगढ़	94.0				
4. गरोठ	136.0				
5. मन्दसौर	198.2				
6. श्यामगढ़	160.4				
7. सीतामऊ	147.6				
8. धूधड़का	225.0				
9. संजीत	133.0				
10. कायामपुर	126.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. तिल, तुअर, मूँगफली कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जावद	226.6				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. नीमच	116.0				
3. मनासा	94.0				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2.	..	3. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जावरा	187.3				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. आलोट	262.0				
3. सैलाना	180.0				
4. बाजना	203.0				
5. पिपलौदा	129.0				
6. रतलाम	161.2				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बड़ौदा	..				7. .. 8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	जुताई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का, ज्वार, उड़द, मूँग, अरहर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द कम. मक्का, सोयाबीन, कपास, मूँगफली, धान समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, उड़द, मूँगफली अधिक. ज्वार, बाजरा, कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	113.6				
2. अलीराजपुर	101.8				
3. कटटीवाड़ा	58.6				
4. सोण्डवा	19				
5. च. शे. आ. नगर	66				
6. उदयगढ़	69.8				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	546.8				
2. सरदारपुर	265.0				
3. धार	178.9				
4. कुक्षी	71.5				
5. मनावर	203.0				
6. धरमपुरी	162.0				
7. गंधवानी	150.0				
8. डही	28.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूं, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेंगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावा	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	29.4				
2. ठीकरी	164.0				
3. राजपुर	54.0				
4. सेंधवा	32.0				
5. पानसेमल	18.0				
6. पाटी	23.0				
7. निवाली	37.0				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंथाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुहानपुर :	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुहानपुर	78.0				
2. खकनार	60.0				
3. नेपानगर	130.0				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
*जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, मवका, तुअर, उड़द, मौँग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	215.6				
2. गैरतंगंज	105.6				
3. बेगमगंज	81.3				
4. गौहरगंज	395.0				
5. बेरेली	175.6				
6. सिलवानी	73.4				
7. बाड़ी	193.0				
8. उदयपुरा	126.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	141.8				
2. घोड़डांगरी	138.5				
3. शाहपुर	141.2				
4. चिंचोली	173.8				
5. बैतूल	154.8				
6. मुलताई	84.4				
7. आठनेर	77.0				
8. आमला	54.0				
*जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	15.2				
2. पाटन	22.8				
3. जबलपुर	57.1				
4. मझौली	12.0				
5. कुण्डम	26.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं तिल व धान की रोपाई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदों। (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	37.8				
2. रीठी	18.0				
3. विजयराघवगढ़	14.5				
4. बहोरीबंद	24.2				
5. ढीमरखेड़ा	79.0				
6. बड़वारा	10.0				
7. बरही	41.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गाडरवारा	..				
2. केरेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	78.3				
2. बिछिया	50.2				
3. नैनपुर	55.4				
4. मण्डला	118.2				
5. घुघरी	83.3				
6. नारायणगंज	61				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं सोयाबीन, उड़द, तुअर एवं कोदों-कुटकी व धान की रोपाई का कार्य चालू है. 3. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	89.4				
2. बजाग	21.2				
3. शाहपुरा	28.6				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, अधिक सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
1. छिन्दवाड़ा	138.8				
2. जुन्नारदेव	101.3				
3. परासिया	92.8				
4. जामई (तमिया)	71.0				
5. सोंसर	21.2				
6. पांदुणा	55.6				
7. अमरवाड़ा	27.8				
8. चौरई	37.0				
9. बिछुआ	35.7				
10. हरई	51.0				
11. मोहखेड़ा	104.0				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन सन गन्ना. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	58.0				
2. केवलारी	67.0				
3. लखनादौन	27.7				
4. बरधाट	9.2				
5. कुरई	44.0				
6. घंसौर	57.0				
7. घनोरा	150.9				
8. छपारा	16.3				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	45.5				
2. लाँजी	28.5				
3. बैहर	29.0				
4. वारासिवनी	8.4				
5. कटंगी	64.9				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला अशोकनगर, दमोह, खण्डवा, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.